

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूज 6-7, भाखा पीवाली)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अजाणत सहायक कलक्टर एवं एवेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जितेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अंतर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 117/2021

निर्णय दिनांक :- 12.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आवेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -
वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मती भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 27 एक की जमाबन्दी संवत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 30/26 में अंकित नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह दर्ज किए जाने के आवेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बद्रस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 12.11.2021 को यह फर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं एवेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुकदम	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इशूरी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 434
प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं एवेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 12/11/21



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं एवेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर